

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

<p>स्तनलाल पुत्र सांवरमल जाति- गुर्जर निवासी वार्ड नं. 17 मुकुन्दगढ</p>	<p>-बनाम-</p>	<p>भंवरसिंह पुत्र माधवसिंह वगै० जाति- राजपूत निवासी जांटवाली तहसील नवलगढ</p>
<p>किरम मुकदमा आदेश</p>	<p>-दावा घोषणार्थ, वेदखली एवं स्थाई निषेधज्ञा कार्यवाही विवरण</p>	<p>मु.नं. 138/2020 पालना के क्रमांक व दिनांक</p>
<p>24.08.2020</p>	<p>यह दावा स्तनलाल पुत्र सांवरमल जाति- गुर्जर निवासी वार्ड नं. 17 मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ की ओर से जरिये वकील श्री प्रदीप कुमार झाझडीया विरुद्ध प्रतिवादीगण भंवरसिंह पुत्र माधवसिंह वगै० जाति- राजपूत निवासी जांटवाली तहसील नवलगढ पेश हुआ। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत सम्मन/तलवाना पर प्रतिवादीगण की तलवी जारी होकर आईन्दा दिनांक 17/09/2020 को पेश हो।</p> <p>17/9/20</p> <p>वकील के नाम हैं। दावा प्रतिभावक श्री प्रदीप कुमार झाझडीया के द्वारा पेश किया गया है एवं पंजाबीन अधिकारी महोदय कोरे/अवकाश पर हैं। पत्रवाली वास्तु प्राथम कार्यवाही दिनांक 09/09/20 को पेश हो।</p> <p>रीटव</p> <p>वकील के नाम हैं। दावा प्रतिभावक श्री प्रदीप कुमार झाझडीया के द्वारा पेश किया गया है एवं पंजाबीन अधिकारी महोदय कोरे/अवकाश पर हैं। पत्रवाली वास्तु प्राथम कार्यवाही दिनांक 09/09/20 को पेश हो।</p> <p>रीटव</p> <p>पत्रवाली पेश हुई। वकील वादी उपन। वादी की ओर से वकील वादी ने एक शपथपत्र पेश कर निर्दिष्ट किया कि वाद पत्र में तथ्य रह जाते हैं वादी को रिलीफ में उमात होना करत वादपत्र पुनः पेश करे। अनुमति पर रिजल्ट करके श्री अनुमति माही हैं। काला तद वादी पुनः वाद पेश करके श्री अनुमति दी जाकर उकी दतर पर खासियत किया जाता है। पत्रवाली क्रमाल अनुमार होकर दर्ज नम्बर से उमात हो तब वाद तहसील अफ्ता दाखिल दफ्तर हो</p>	<p>1800 25/8/20</p>

01/10/20

16/9/21

नवलगढ अधिकारी
नवलगढ